

2021/511

## फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

हलाल पिता कल्याणमल गुप्ते नि. रूपनाथपुरा

बनाम

कुलाश पिता खाना बखार नि. जीरा कौल

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 407/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुवे
02.10.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम <u>आमला</u> प. ह. <u>आमला</u> तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. <u>574/4</u> रकबा <u>02.00 बीघा</u>, आ.नं. <u>574/5</u> रकबा <u>2.00 बीघा</u>, आ.नं. <u>574/8</u> रकबा <u>2.00 बीघा</u> स्थित है। विपक्षीयण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम <u>आमला</u> प. ह. <u>आमला</u> तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. <u>574/4</u> रकबा <u>02.00 बीघा</u>, आ.नं. <u>574/5</u> रकबा <u>2.00 बीघा</u>, आ.नं. <u>574/8</u> रकबा <u>02.00 बीघा</u> की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक <u>अमरगढ</u> को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस <u>500/-</u> रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 02.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">Du उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	